

नीलामी की सूचना एवं शर्तें
कार्यालय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय सोनभद्र

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन आदेश दिनांक 15.02.2024 के अनुक्रम में जनपद न्यायालय सोनभद्र के अन्तर्गत प्रांगण जजी खण्ड एवं मुंसफी खण्ड में स्थित दुकानों के स्थान एवं कैन्टीन, जिनका विवरण नीचे दिया जा रहा है, की नीलामी वर्ष 2024-2025 (01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक) के लिये दिनांक 06.03.2024 समय अपराह्न 1:30 बजे जनपद न्यायालय सोनभद्र के परिसर में करायी जायेगी। नीलामी में भाग लेने एवं नीलामी संबंधी अन्य जानकारी के लिए नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, सोनभद्र में सम्पर्क किया जा सकता।

इच्छुक व्यक्तियों को नीलामी की तिथि को पूर्वान्ह 10:00 बजे से 12:00 बजे तक निर्धारित नगद सुरक्षा/जमानत की धनराशि नजारत अनुभाग में जमा करने के उपरान्त ही (डिफॉल्टर व्यक्ति को छोड़कर) सील बंद निविदा आमंत्रण प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार होगा तथा उच्चतम सील बंद वाले व्यक्तियों की निविदा स्वीकार होने के दूसरे दिन सुरक्षा धनराशि के अतिरिक्त निविदा की सम्पूर्ण धनराशि का 1/4 (प्रथम किस्त के रूप में) भाग जैसा की निविदा के समय में नीलामी समिति द्वारा आदेशित किया जायेगा नजारत अनुभाग में जमा करना होगा, अन्यथा सुरक्षा /जमानत की धनराशि जब्त करके द्वितीय उच्चतम सील बंद निविदा वाले व्यक्ति को यह अवसर दे दिया जाएगा। उच्चतम निविदा की शेष 3/4 भाग धनराशि तीन बराबर किस्तों में जमा करनी होगी, जिसमें से द्वितीय किस्त जून 2024 के अन्तिम सप्ताह, तृतीय किस्त सितम्बर 2024 के अन्तिम सप्ताह तथा चतुर्थ किस्त दिसम्बर 2024 के अन्तिम सप्ताह में सुरक्षा धनराशि समायोजित करते हुये जमा करना होगा। निविदा स्वीकार हो जाने की दशा में 100.00 रूपया के स्टाम्प पर एग्रीमेन्ट निष्पादित करना होगा। जिसमें निम्नलिखित शर्तें होगी।

1. यह कि द्वितीय पक्ष नीलामी एवं अपने सामानों का सुरक्षा का स्वयं जिम्मेदार होगा एवं सफाई का जिम्मेदार होगा।
2. यह कि द्वितीय पक्ष के ठेके के धनराशि दिनांक 01.04.2024 से प्रारम्भ होगी और दिनांक 31.03.2025 तक रहेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्ष का जिस काम का ठेका होगा वह स्वयं करेगा किसी अन्य को दुकान ठेके पर नहीं देगा।
4. यह कि उपरोक्त शर्तों को यदि द्वितीय पक्ष पालन नहीं करता है तो उसके द्वारा जमानत धनराशि प्रथम पक्ष द्वारा जब्त कर ली जाएगी तथा ठेका निरस्त होने पर हर्जाना यथास्थिति अवशेष धनराशि की सीमा तक द्वितीय पक्ष से वसूल कर लिया जाएगा।
5. यह कि उपरोक्त ठेके से उत्पन्न सम्पूर्ण विवाद के सन्दर्भ में एक मात्र क्षेत्राधिकार **जनपद न्यायाधीश, सोनभद्र** को ही होगा।
6. यह कि ठेके की शर्तों का पालन न करने पर एवं हुई हानि की वसूली पब्लिक मनी रिकवरी एक्ट के प्राविधान के अन्तर्गत प्रथम पक्ष के द्वारा वसूली प्रमाण पत्र जारी करके लैण्ड रेवेन्यू की तरह धन वसूल करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
7. यह कि उपरोक्त रूप में प्राप्त ठेके के बावत शर्तों के उल्लंघन की दशा में युक्ति-युक्त सुनवाई के अवसर के अधीन ठेका निरस्तीकरण का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, सोनभद्र का होगा।

दुकानों आदि का विवरण जिनकी नीलामी की जानी है :-

क.स.	दुकानों का नाम	स्थान का नाम	सुरक्षा धनराशि	निविदा की न्यूनतम आरक्षित धनराशि
1.	फोटो स्टेट की दुकान का स्थान	जजी खण्ड (स्थान पुरानी ट्रेजरी बिल्डिंग के बाये साइड)	5000.00	120000.00
2.	फल की दुकान का स्थान	जजी खण्ड (स्थान पुरानी ट्रेजरी बिल्डिंग के सामने)	2000.00	20251.00
3.	लाई/चने भूजे के टेली की दुकान का स्थान	जजी खण्ड (स्थान पुरानी ट्रेजरी बिल्डिंग के सामने)	500.00	20000.00
4.	कैन्टीन	मुंसफी खण्ड	10000.00	158300.00
5.	फोटो स्टेट की दुकान का स्थान	मुंसफी खण्ड	5000.00	134400.00

नोट:-

1. जिन ठेकेदारों के नाम काली सूची में है वे बोली बोलने के लिए अधिकृत नहीं होंगे।
2. कोई भी व्यक्ति किसी अन्य के लिए बोली नहीं बोलेगा।
3. नीलामी की बोली की शर्त मन्जूर करने पर ही कोई ठेकेदार बोली बोलने का अधिकारी होगा।
4. बिना कोई कारण बताए उच्चतम बोलने वाले व्यक्ति की बोली स्वीकार करने का या अस्वीकार करने का अधिकार **जनपद न्यायाधीश सोनभद्र** को होगा।
5. दिवालिया घोषित व्यक्ति बोली बोलने का अधिकारी नहीं होगा।
6. विधि अनुसार सविदा करने में सक्षम व्यक्ति ही बोली बोलने का अधिकारी होगा।

Sd/-

(अचल प्रताप सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सदस्य
दुकानों की नीलामी समिति,
जनपद न्यायालय, सोनभद्र
20.02.2024

Sd/-

(पारितोष श्रेष्ठ)
अपर जनपद न्यायाधीश
एफ.टी.सी (सी.ए.डब्ल्यू)
सदस्य
दुकानों की नीलामी समिति,
जनपद न्यायालय, सोनभद्र
20.02.2024

Sd/-

(अमित वीर सिंह)
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट
अध्यक्ष
दुकानों की नीलामी समिति,
जनपद न्यायालय, सोनभद्र।
20.02.2024